कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त मानसरोवर जयपुर दक्षिण

क्रंमाक दिंनांक **15.12.2020**

विषय**-** परिवाद सख्या **12200679046808** द्वारा ज्ञानेश कुमार के क्रम मे

महोदय**,**

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि परिवाद सख्या12200679046808 द्वारा ज्ञानेश कुमार के क्रम मे थानाधिकारी मुहाना के प्राप्त रिपोर्ट अनुसार परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार निवासी एस 1 झारखण्ड अपारटमेन्ट खातीपुरा जयुपर का परिवादी इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 12.11.20 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयुर संस्करण खबर शीर्षक "इनामी बदमाश का खौफ "5 लाख की फिरौती दे दी ,पर पुलिस को नहीं बताया

उक्त परिवाद में वर्णित तथ्यों से संबंध में दिनांक 10.11.2020 को परिवादी श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता जाति महाजन उम्र 39 निवासी गाव हुडला थाना महुआ जिला दौसा हाल मकान न 42 कृष्णा रेजीडेन्सी केसर चौराहा इस्कोन रोड जयपुर थाना मुहाना जयपुर ने उप थाना होकर पेश की मै विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता निवासी गांव हुडला थाना महुआ जिला दौसा का रहने वाला हु । करीब 15 साल से जयपुर मे रह रहा हु व एक साल से मकान न 42 हरिकृष्णा रेजिडेन्सी कैसर चौराहा के पास जयपुर मे पत्नी व बच्चो सहीत रह रहा हु । दिनांक 22/10/2020 को दोपहर मे करीब 12 बजे अपने निवासी हरिकृष्णा रेजिडेन्सी से मै कार न आरजे 14 सीडब्लु 2983 स्वीट डिजायर से लाल कोटी जाने केलिये रवाना हुआ मै घर से करीब 100 मीटर आगे पहुचा तबी एक व्यकित ने मुझे हाथ से रुकने का इसारा किया मैने गाडी रोकी तब ही पिछे से तीन मोटरसाईकिल डिस्कवर रंग ब्लेक आरजे 11 व सफेद रंग की अपाची व एक टीवीएस स्पोर्टस रंग ब्लेक पर 6 व्यकित आये व सभी 30-40 वर्ष के थे । मुझे हाथ का इसारा कर रुकवाया व व्यकित बोला विजय हम स्पेशल से है ऐसा बोलकर उसने मेरी गाडी की चाबी निकाल ली । तभी उसके 2 साथी आये व मुझे हथियार दिकाकर मेरी गाडी मे पिछे शिट पर बेठाया व दोनो व्यकित मे रे दोनेा साईड मे बेट गये जिसने मेरी गाडी रुकवाई वह गाडी को चलाने लगा । उनके साथी तीनो मोटरसाईकिलो पर पिछे पिछे चल रहे थे मुझे रिंग रोड की तरफ ले गये । मेरे पास बेटे दोनो व्यकित व गाडी चलोन वाले व्यकित तीनो ने मुझे थप्प्ाड गुस्सो से मारपीट की जिससे मेरे चेहरे बायी ऑख व बाया कान मे काफी चोट आयी। जिसका इलाज मेने डाक्टर पवन सिघल दुर्गापुरा से करवाया मुझे गाडी मे पिटते समय बोले के 5 लाख रुपये व 30 हजार रुपये प्रति माह देने होगे । तब मेने उनको मना किया तो उन लोगो ने मेरे बच्चे का अपहरण करने की धमकी दी । तब मेने उनके डर से 2 नवम्बर तक 5 लाख रुपये व 30 हजार रुपये देने की हां कि । तब मुझे वह लोग गाडी सहित रिंग रोड पर छोड गये । व सातो व्यकित तीनो मोटरसाइकिलो से चले गये । 27/10/2020 को

मोबाइल न 8003966879 से मेरे फोन न 9024262626 पर दोपहर करीब 3 बजे फोन आया व बोला कि मे तेरा दोस्त बोल रहा हु मेने बोला कोनसा दोस्त मै पहचाना नही तब वह बोला वो ही जिसने 22 तारिक को गाडी मे घुमाया ओर तेरे मुह पर मुक्के मारे थे ।तु तुरन्त पैसे दे दे । तभी मैने 02 नवम्बर के लिये बोला था लेकिन उसने मुझसे कहा दो व तीन दिन मे पेसा दे देगा तो टीक है नही तो तेरे बच्चे को उठकार ले जाउंगां इससे मै बहुत डर गया। मेने मेरी पत्नी व मां के जैवर मुथुट गोल्ड लोन फाईनेन्स कम्पनी दुर्गापुरा जयपुर मे दि नांक 30/10/2020 को मेरे परिचित राहुल शर्मा को साथ लेकर गया। व दो लाख रुपये जैवर गिरवीरख कर लिये । व मेरी गाडी से मै ओर राहुल शर्मा मेरे गांव हुडला गये जहा मेरे पिताजी ने किसी जानकार से मुझे 3 लाख रु. लेकर दिये इस प्रकार मे 5 लाख रुपये की व्यवस्था कर दिनांक 30/10/2020 को समय करीब 4 बजे दिन को मेने उनको फोन किया तब उनका फोन बन्द था तब मेने मैसेज किया इस्कोन रोड कसाना स्वीट के पास मे आया तबी पीछे से तीन मोटरसाईकिलो पर सातो व्यक्ति मेरी गाडी के बगल मे आकर रुके व ईशारा कर मुझे रुकवाया उस समय मेरी गाडी मे मेरे साथ मेरे परिचित राहुल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राधेलाल शर्मा निवासी गाव बह्मबाद व्याथा भरतपुर भी था तब मेने उन सातो अग्यात व्यक्तियो को 5 लाख रुपये दे दिये उसके बाद वह लोग अपनी तीनो मोटरसाईकिलो से चले गये । मै और राहुल शर्मा मेरे घर आ गए । राहुल शर्मा मेरे ननिहाल गाव बह्मबाद का रहने वाला है जिसे मै 2015 से जानता हु वह मेरे पास आता जाता है । उसके माता पिता की मृत्यु हो गई मैने ही उसकी शादी करवाई । वर्ष 2016 मे राहुल का एक्सीडेंट हुआ तब मेने ही ईलाज करवाया व देखरेख की । राहुल शरमा वर्तमान मे मथुरा उ.प्र. मे रहता है । करीब 1 वर्ष पहले राहुल शर्मा उसके परिचित विरेन्द्र सिंह व दरोगा खान निवासी भरतपुर को लेकर मेरे मकान पर आया उस समय मे सट्टे का कारोबार करता था । मुझसे उन तीनो ने कहा आप सट्टे मे हमारी हिस्सेदारी करो । तब हमे कोई फ्लैट मे रहने की व्यवस्ता कर दो हम जयपुर मे ही रहेगे । हमारे भाई विनोद पहलवान निवासी पथेना को भी साथ रखेगे व गाव पथेना जिला भरतपुर का रहने वाला है तथा बडा बदमाश व अच्छा सुटर है । पैसे का लेनदेन का विवाद किसी से होगा तो हम व विनोद भाई देखेगा इससे मे डर गया तथा उनके साथ काम करने से मना कर दिया था । उसके बाद राहुल शर्मा मुझसे नाराज रहने लगा । अक्टुबर 2020 मै राहुल शरमा जयपुर आया था व अपने मौसा के बेटे मदन व बेटी जिनका मकान त्रिवेणी नगर नाले के पास है मे रह रहा था । दिनांक 22/10/2020 से 31/10/2020 तक मेरे पास रुका उस समय राहुल के पास स्वीफ्ट कार न आरजे 45 6618 थाी को काम ले रहा था । मुझे धमकाकर व उठाकर ले जाने व मारपीट करने व मेरे बेटे का अपहरण की धमकी देकर 5 लाख रुपये ले जाने वाले लोगो के खिलाफ थाने मे रिपोर्ट करने को बोला तो राहुल शर्मा ने मुझे कहा की उन लोगो ने बेटे को उठा ले जाने को बोला है । यदी उन्हे पैसे नही दिये या पुलिस मे रिपोर्ट की तो वो लोग कुछ भी कर

सकते है इससे मे और भी डर गया इसलिए मैने उस समय रिपोर्ट नही की दिनांक 01/11/2020 को राहुल सुबह घतवी मथुरा की कहकर चला गया । दिनांक 05/11/2020 से राहुल का फोन बन्द आ रहा है अब मुझे पुर्ण विश्वास है की मेरे साथ मे घटना राहुल शर्मा मो. 8050624730 विरेन्द्र सिंह मो. 9983005607 व दरोगा खान मो. 9024820562 ने अपने दोस्त विनोद पथेना व उसके साथियो से मिलकर षडयंत्र पुर्वक करवाई गई है । आदि रिपोर्ट पर मु.न. 753/2020 धारा 143,323,342,365,384,120 बी आईपीसी में कायम कर अनुसंधान शुरु किया गया ।

दौराने अनुसंधान बयान परिवादी श्री विजय के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआऱपीसी मे लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मोका कशीद किया गया । घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज चैक किया गया । प्रकरण हाजा आरोपीगणों की तलाश जारी है । प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है ।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे पेश है।

सहायक पुलिस आयुक्त
मानसरोवर जयपुर

–